By Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/9/2013-14

14 मई, 2013

श्रीमती श्यामला मोहन
निदेशक/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र स्व. श्री ए. एस. शर्मा, पता-सी-343, गली न. 16 भजनपुरा, दिल्ली -53 का दिनांक 9 मई 2013 का पत्र दिनांक 13 मई 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने रूपये दस का पो.आ. संख्या 08F 770220 संलग्न कर भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों से संबंधित विधिवत ब्यौरा मांगा है तथा हिन्दी में काम न करने पर एतराज जताया है, चूंकि यह विषय वस्तु भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय तथा संबद्ध राजभाषा प्रभाग से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तातरित किया जा रहा है। कृपया इनके पत्र पर की कार्यवाही की सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र स्व. श्री ए. एस. शर्मा, पता-सी-343, गली न. 16 भजनपुरा, दिल्ली -53
2. श्रीयुत केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, डाक विभाग, नई दिल्ली
   कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

14/5 O/C

ऊँ

स्पीड़ पोस्ट / रजिस्टड़ / कोरियर / फ़ैक्स / ई–मेल / दस्ती दिनांक 18.05.2013

पृष्ठ संख्या :– 1 से 19 तक दिनांक 8-5-13

सेवा में ,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.),

श्रीमान उपराष्ट्र प. लि. का कार्यालय

नयी दिल्ली – 110001

आवेदन कर्ता का नाम व पता – रामेश्वर शर्मा सुपुत्र स्व. श्री ए.एस. शर्मा, आश्रय का पता– सी.343, गली नं.16, भजनपुरा दिल्ली–53

सूचना का विवरण जो शिकायते सोनीपत जिले से 1 दिसम्बर, 2007 एवं जनवरी 2013 को इस हलके अधिकारियों के विरूद्व आई उन पर आज तक मुख्यमंत्री हरियाणा आदि एवं प्रधान मंत्री भारत वर्ष आदि ने क्या–क्या कार्यवाही अमल में लाई।

सूचना की अवधि – 1947 से 2013 हाल तक। 1947 से 2013 हाल तक

आदरणीय मान्यवर,

1. सूचना दे कि पी.एम., सी.एम., राष्ट्रपति एवं मंत्रियों आदि की सुरक्षा पर कुल कितना देश का पैसा खर्च होता है। न्यायालय की जवाब देही क्या है कांग्रेस सरकार ने उसके लिए पच्पन साल के राज में क्या किया इसके लिए जवाब देही बिल आज तक पास क्यों नहीं किया सूचना हिन्दी में दे।

1. (ए) सूचना दे कि सोनीपत जिले के अध्यापकों ने जिन–जिन अधिकारियों की शिकायते आप पी.एम. भारत वर्ष नई दिल्ली आदि एवं मुख्यमंत्री हरियाणा आदि को दी उन पर मुख्यमंत्री व पी.एम. आदि ने या उनके कर्मचारियों ने उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या–क्या कानूनी कार्यवाही की और उन शिकायतों की वास्तव में स्थिति क्या है? हिन्दी में पूर्ण विवरण सहित सूचना देवे।

1. (बी) देश में कितने न्यास / ट्रस्ट व एन.जी.ओ. है उनके पास कितनी–2 सम्पति है वे देश के लिए क्या–2 कार्य करते है सूचना हिन्दी में वर्णन सहित दे।

1. (सी.) सूचना दे कि नेताओं, मन्त्रियों का वेतन से ज्यादा अपार सम्पत्ति पांच साल में भ्रष्टाचार से कमाई जाती है उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती है इन पर ये अपार सम्पदा कांग्रेस वालो के खिलाफ पी.एम. व श्रीमति सोनिया जी क्या कर रही है सारा देश इन्होंने लूट लिया कब तक इन लूटेरे नेताओं पर अकूंश लगवाकर जेल कब तक भिजवाएगे। सभी नेताओं की कुल आमदनी किन–2 स्रोतों में आई सूचना हिन्दी में देवे।

1. डी देश के सभी संसद सदस्यों एम0एल0ए0,, एम0सी0 व एम0एल0सी0 आदि सदस्यों की शैक्षणिक योगयता क्या है इनकी उम्र व शिक्षा निश्चित क्यों नहीं की गई 1947 से आज तक और ना ही इनकी सेवानिवृति की आयु तय की गई क्या ये व्यक्ति अनपढ़, बदमाश किस्म की (शिक्षा) क्या योग्यता है क्या इन पर पद का दुरुपयोग करने वे जब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं कोई फौजदारी मुकदमा स्थानीय पुलिस क्यों नहीं कर पाती क्या हर राज्य की स्थानीय पुलिस नकारा व बेकार है। इसकी सूचना हिन्दी में वर्णन सहित दें।

1. ई इस देश में स्थानान्तरण करने का कोई निश्चित कानून या निश्चित समय है या हीं या किसी शरीफ व्यक्ति का हर दस और बीस दिन में स्थानान्तरण किया जाना किस कानून में उचित है। स्थानान्तरण की समय अवधि बताऐं कि किस अधिकारी का कम से कम कितने दिन में और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक स्थानान्तरण किया जा सकता है कानून का हवाला देते हुए सूचना हिन्दी में वर्णन सहित दें।

1. (एफ.) सूचना दे कि जाती के आधार पर आरक्षण क्यों गरीबी के आधार पर क्यों नही कांग्रेसियों का क्या समाजवाद केवल दिखाया मात्र है हिन्दी में सूचना दे (1) जो देश की राजभाषा हिन्दी देश की केन्द्र सरकार क्यों अंग्रेजी थोप रही है क्या आज भी देश अंग्रेजो की अंग्रेजी का गुलाम है अगर नहीं तो देश का काम राजभाषा

2. सूचना दे कि आपके मुख्यंत्री हरियाणा व केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन किया है क्या उसको अमल में लाया गया है अगर लाया गया है तो सूचना दे कि जिसकी भूमि अधिग्रहण की गई है उसको 1200 वर्गगज का रिहायसी प्लोट विकसित करके कितने लोगों को आज तक दिया गया है और 100 वर्गगज का व्यवसायिक प्लोट विकसित करके कितने लोगों को दिया गया है और साथ में यह भी अन्तर बताऐ कि

19

...यायालय उस दोषी को सजा सुनाता है वह गलत कैसे हैं राष्ट्रपति दोषियों को किस अधिकार से माफ ... और जब सर्वोच्च न्यायालय किस दोषी को गवाह को सुरक्षा ना मिलने के अभाव में जज दोषी को गलत तरीके से बरी कर देता है उस सूरत में राष्ट्रपति को दोषी को सजा देने का अधिकार क्यों नहीं क्या केवल राष्ट्रपति को दोषियों को बचाने–बचाने का अधिकार है यह कैसा भारतीयों के साथ भद्दा, दागनुमा मजाक क्यों। और आज तक राष्ट्रपति महोदय पीड़ितों और उनके गवाहों को सुरक्षा दिलाने का अधिकार क्यों नहीं रखता और यह देश का कैसा सर्वोच्च न्यायालय है। जिसकी आदेश को राष्ट्रपति बदल देता है। सर्वोच्च न्यायालय और देश की सर्वोच्च संस्था संसद एवं राष्ट्रपति महोदय सूचना देवें कि ये सब शरीफ और नेक निर्दोष लोगों के साथ इस तरह के अधिकार क्यों? वर्णन सहित सूचना हिन्दी में देवें।

84. सूचना दें कि देश के लादेन जैसे घातक अपराधी सोराबुद्दीन और उसकी पत्नी कम से कम 200 कत्ल अपहरण राजहनी, डकैती आदि करने वालों की मृत्यु के बाद उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय मानवाधिकार आयोग देश की गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं एवं कांग्रेस सरकार उनके लिए गुजरात के सी0एम0 वहां के पुलिस अधिकारी और मंत्रियों को जेल भिजवा रहे हैं और प्रार्थी और उसके परिवार के 750 के करीब बेजुबान जानदार फलदार पेड़ों को कटवाने के बावजूद लाखों गज जमीन कब्जाने के लिए श्रीमान हुड्डा, श्रीमती सोनिय गांधी, श्री मनमोहन सिंह आदि को आज तक जेल भी ना भिजवाया ना ही कोई जांच की और उल्टा लिखी गई एफ0आई0आर0 242/7 दिनांक 22–12–2007 थाना कुंडली को बिना एफ0आई0आर0 लिखवाने को पूछे ना ही उसको सुरक्षा दी और उपरोक्त एफ0आई0आर0 को इन दोषियों को बचाने के लिए रद्द करवा ली ये कैसा भारत देश का न्याय है यहां क्या केवल दोषियों और अपराधियों को बचाने के अलावा दूसरा कोई कानून है या नहीं सूचना हिन्दी में वर्णन सहित देवें।

85. संजय दत्त जैसे दोषी को बचाने के लिए तथाकथित नेता आगे आ रहे हैं कि इस संजय दत्त की सजा माफ करो क्या यह सर्वोच्च न्यायालय ने गलत सजा दी है और सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश गलत तरीके से किये हैं जिसके लिए वहां के राज्यपाल को चिठ्ठियां इसको बचाने के लिए दी जा रही हैं क्या केवल पैसे वाले बदमाशी और अपराध करें तो उनको बचा लिया जाए इस दोषी संजय दत्त के जगह कोई दूसरा गरीब का बच्चा होता तो उसके लिए कोई बोलने की तो बात क्या उसका चेहरा भी कहीं नजर नहीं आता। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिमा पाटिल ने बलात्कारियों व कातिलों को जिनकी संख्या करीब 37 हैं अपने कार्यकाल में सभी की सजा माफ कर दी क्या यह शरीफ, पीड़ितों और उनके गवाहों के लिए घातक व जानलेवा नहीं है आज तक कोई भी देश का राष्ट्रपति और 57–58 वर्ष से लगातार कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद पीड़ितों और इनके गवाहों को सुरक्षा इसलिए ना दिलवाती कि इनके दोषी भ्रष्टाचारी जेल चले जाएंगे और फांसी तक पहुंच सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसलों में गवाहों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश दिए और सरकार को भी उसके सम्बन्ध में कानून बनाने व गवाहों को सुरक्षा देने सम्बन्धी हिदायतें दी लेकिन यह बेहरी गूंगी दोषियों की सरकार अपने दोषियों को बचाने के लिए उस तरफ देखा भी नहीं और गवाहों को पीड़ितों को मरवाकर अपराधियों को बचा रहे हैं इसी तरह आवेदनकर्ता को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सुरक्षा ना दिलवाकर और रिश्वतखोर सोनीपत अदालत के जज हेमराज वर्मा ने भ्रष्टाचारियों से मोटी रिश्वत खाकर गलत गवाही और गलत कागजों पर गलत आदेश देकर आवेदनकर्ता और उसके परिवार की खड़ी फसल रात के समय पुलिस लगाकर उजड़वा दी और उसको चोरी करवा दिया और आज तक उसके संबंध में रिपोर्ट भी ना दर्ज होने दी और आवेदनकर्ता और उसके परिवार को उस जमीन में से बंद करने की धमकी देकर मना कर दिया जिसके कारण वह जमीन खाली रह गई और ये दोषी संबंधित पुलिस सरकार के सी0एम0 आदि और जज साहब कानून की धज्जियां उड़ाकर सरेआम दोषियों को बचा रहे हैं और एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि ये दोषी अवैध कब्जा करवाकर उसको बिकवाकर करोड़ों रुपए बनाने के चक्कर में है यह कौन सा देश का कानून हैं विवरण सहित हिन्दी में सूचना दें।

86 सूचना दें कि देश के अलग–अलग राज्यों में जब श्रीमती सोनिया गांधी एवं अपने राज्य या दूसरे राज्यों में श्रीमान हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा दोहरा करते हैं उनके उपर उनकी सुरक्षा पर और दूसरे इंतजाम पर आज तक कुल कितना खर्च किया गया है और जो पुलिस कर्मचारी, अधिकारी उनके इंतजाम में लगाए जाते हैं वे कुल कितने कर्मचारी इनके इंतजाम में लगाए गए हैं साथ मे यह सूचना दें कि ओ0पी0 जिंदल विश्वविद्यालय मे भारत के राष्ट्रपति पधारे थे उनके लिए हरियाणा पुलिस हरियाणा प्रशासन एवं दिल्ली पुलिस और दिल्ली का प्रशासन आदि की कितने लोग उनके इंतजाम में लगे और कितनी गाड़ियां वहां आती जाती रही इन सभी का ब्यौरा देते हुए सत्य और सही विवरण सहित हिन्दी में सूचना देवें।

87. सूचना देवें कि भारत में राष्ट्र भाषा हिन्दी न्यायालयों में कब मान्य होंगी और अंग्रेजी की अनिवार्यता कब खत्म होगी। क्या ये सब अंग्रेजों की गुलामी का दौर और इस अंग्रेजियत में कब तक भारतवासी पिसता रहेगा और भ्रष्टाचार से पैसा कमाने वाले भ्रष्टाचारी न्याय को पैसे से खरीदते रहेंगे और गरीब और सरीफ पैसे के अभाव में न्याय से वंचित रहेंगें ये कैसा भारत देश और कैसा भारतीय संविधान जो भारतीयों की रक्षा करने में असमर्थ दिख रहा है हिन्दी में सूचना देवें।

आवेदक का नाम व पता किसी को भी न बताया जाये। क्योंकि उसकी जान–माल को खतरा है। अगर ऐसा किया गया तो उसका जन–सूचना अधिकारी अपराधी होंगा। इसकी निश्चित अवधि इसकी सूचना आवेदक के उपरोक्त लिखित पते पर डाक द्वारा भिजवाई जावे। इस आवेदन के साथ आवेदन कर्ता इसकी सम्बन्धित तय फीस 50 रुपये जिसका भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 08 F 770220 दिनांक 23.03.2013 है।

संलग्न– उपरोक्त

दिनांक– 23–3–2013 08 F 770220 दि. 8/5/13

ॐ आवेदनकर्ता

(रामेश्वर शर्मा)